

2-4-19

पचावला येथे दुष्टी वकील
 उभयपक्ष उपस्थित हे। वकील
 प्रतिवादा ने कथन किया कि
 पचावला ये उपलब्ध पुरावा
 पुरावा मगारा की रिपोर्ट के
 अनुसार वादीगण ने अपने
 लिखे वकील मुक्ति का बयान
 कर दिया है, इसलिए उक्त
 दस्तावेज का कोई अर्थ
 नहीं होने से दावा खारिज
 करमाया जाने। वकील वादी
 ने कथन किया कि
 न्यायालय जो उचित समझे
 सोदेगा करमाये।
 मैं वकील उभयपक्ष
 को बुला। पचावला पक्ष - 3

उपरोक्त दस्तावेजों का
 अध्ययन किया। पता चला
 सुरक्षा मगरा की विशेष
 दिनांक 18/6/18 के समय
 साक्षर जमाना के अनुसार
 नवीकरण के द्वारा वादहीत
 मुक्ति का विवेक नारायण (सा.
 25) विद्वत्साय लेखी निवाहा
 विशेषिया के किया जाया
 उक्त छात्रा है। ऐसी स्थिति
 में नवीकरण का वादहीत
 समाप्त हो जाने से इस
 प्रकार का कार्यवाही
 इसी स्टेज पर बन्द की
 जाया है। पता चलता है
 कि साय। होकर वाशिभ
 यमज्जद के। विशेष
 दिनांक दिनांक 2.4.2019
 को सुनी जाया साय के
 सुनवाई गया।

सहायक कलेक्टर
 (S. D. O.) गुलाबपुरा
 जिला-भीलवाड़ा